

# कार्यालय उप संचालक, पंचायत जिला—जशपुर (छ0ग0)

## // आदेश //

क्रमांक / 221 / जि.पं. / स्था. / संविदा भर्ती / 2017

जशपुर, दिनांक 17 / 05 / 2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 995 / आर 70 / मुपंसयो / 22-1 / 2016 नया रायपुर दिनांक 21.07.16 तथा कार्यालयीन विज्ञापन क्र / 2463 / जि.पं. / स्था. / संविदा भर्ती / 2016 दिनांक 24 / 12 / 2016 के तहत मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (बीपीआरसी भवन) में संकाय सदस्य (संविदा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक के लिये एकमुश्त संविदा वेतन 15638/- प्रतिमाह पर निम्न चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (बीपीआरसी भवन) में नीचे वर्णित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	नियुक्त उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार	श्री रति राम	एम / 1009 आदर्श नगर पोस्ट कुसमुण्डा जिला कोरबा छ0ग0	कांसाबेल

प्रमाणित किया जाता है, कि इस नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

शर्तें :—

1. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधीन शासित होंगे।
2. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
4. यह नियुक्ति अस्थाई है तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा अन्य किसी भी विशेष कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. नियुक्ति अवधि में किसी अन्य फर्म/संस्था में कार्य/नियोजन की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 में अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को दिनांक 24/5/2017 सायं 5:30 बजे तक जिला पंचायत जशपुर में उपस्थिति देवें, तत्पश्चात् पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
8. कार्य ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की एक-एक सत्यापित प्रति भी जमा करना होगा।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो, तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
10. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र में प्रतिकूल टीप होने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. संविदा नियुक्त कर्मचारियों को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा राशि का कम से कम 10 प्रतिशत् राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पीपीएफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।
12. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जिले से बाहर के अभ्यर्थियों/आवेदकों की नियुक्ति प्राप्त होती है तो वह ४०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्र. एफ १-१/२०१२/१-३ रायपुर दिनांक १७.०१.२०१२ के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य शासन के निर्णय अध्याधीन है।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक, पंचायत  
जिला जशपुर ४०ग०  
जशपुर, दिनांक १७/०५/२०१७

क्रमांक / २२२ / जि.पं. / स्था. / संविदा भर्ती / २०१७

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी ४०ग० शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, ४०ग० शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा लेखाकार, (४०ग० प्रकोष्ठ) रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. अवर सचिव, ४०ग० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर, जिला जशपुर ४०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
8. आयुक्त सह संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, ४०ग० नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. कोषालय अधिकारी, जिला जशपुर ४०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिला सूचना केन्द्र एवं विज्ञान अधिकारी, जिला जशपुर ४०ग० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया इंटरनेट पर इन्द्राज करने का कष्ट करें।
12. पुलिस अधीक्षक, जिला जशपुर ४०ग० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जशपुर ४०ग० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. संबंधित कु./श्री/श्रीमती.....जिला जशपुर ४०ग० को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप संचालक, पंचायत  
जिला जशपुर ४०ग०